

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र

क्रमांक: 33 / टोंक / 2008-09

यह प्रमाणित किया जाता है कि वसुन्धरा सेवा समिति भरनी

का पंजियन राज.

संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संस्था 28, 1958) के अन्तर्गत पंजियन क्रमांक..... 33...../टोंक/... 2008-09..... को दिनांक... 25-07-2008... को किया गया है।

अब इस संस्था का नाम परिवर्तन कर आर.एन.सेवा संस्थान
श्री. श्री. रक्ष दिया गया है। यह परिवर्तन इन शब्दों के साथ किया गया है कि संस्था राजस्थान अधिनियम 28 उ 1958 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है।

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक... 29-05-2019... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया है।



रजिस्ट्रार
राजस्थान संस्थाएँ
टोंक (राज.)
संस्थाएँ, टोंक

संस्था का नाम :- आर.एन.सेवा संस्थान, थली, जिला टोंक

विधान नियम संख्या (2) का तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

विधान नियम संख्या	पूर्व पंजीकृत प्रावधान	विधान नियम संख्या	वर्तमान संशोधित प्रावधान
2	पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र ग्राम पोस्ट भरनी तह. व जिला टोंक तथा कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला टोंक क्षेत्र तक सीमित होगा।	2	पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र ग्राम थली पोस्ट भरनी तह. व जिला टोंक तथा कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला समपूर्ण राजस्थान तक सीमित होगा।



यह प्रमाणित किया जाता है कि यह आवहियां के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये पत्र जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ सं. से 62... तक प्रकाशित हैं कि प्रमाणित प्रति की प्रमादित प्रति

दिनांक 29-5-19 को दी गई

सचिव -

के हस्ताक्षर

राजस्थान संस्था, टोंक
कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

आर.एन.सेवा संस्थान थली, जिला टोंक

विधान नियम संख्या (3) का तुलनात्मक स्टेटमेंट

पूर्व पंजीकृत उद्देश्य	वर्तमान संशोधित उद्देश्य
1. शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।	1. शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
2. महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रमों का आयोजन करना।	2. महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रमों का आयोजन करना।
3. स्वास्थ्य सम्बन्धित कार्य करवाना।	3. स्वास्थ्य सम्बन्धित कार्य करवाना।
4. विभिन्न समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्य करवाना।	4. विभिन्न समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्य करवाना।
5. जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण के कार्य करवाना।	5. जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण के कार्य करवाना।
6. समाज उत्थान के कार्य करना (बाल विवाह, मृत्यु भोज बाल श्रमिक) आदि कुरीतियों को मिटाने में सहयोग करना।	6. समाज उत्थान के कार्य करना (बाल विवाह, मृत्यु भोज बाल श्रमिक) आदि कुरीतियों को मिटाने में सहयोग करना।
7. गरीबों का उत्थान एवं उनको आर्थिक स्तर से उंचा उठाने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन करना।	7. गरीबों का उत्थान एवं उनको आर्थिक स्तर से उंचा उठाने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन करना।
8. स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन करना।	8. स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन करना।
9. मैला ढोने की प्रथा को रोकने हेतु स्वच्छकारों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ना।	9. मैला ढोने की प्रथा को रोकने हेतु स्वच्छकारों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ना।
10. विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित) में सहयोग प्रदान करना।	10. विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित) में सहयोग प्रदान करना।
11. परिवार कल्याण, एड्स नियंत्रण आदि कार्यक्रमों में सरकार का सहयोग करना।	11. परिवार कल्याण, एड्स नियंत्रण आदि कार्यक्रमों में सरकार का सहयोग करना।
12. दहेज उन्मूलन सामूहिक बीटिया विवाह का आयोजन बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का आयोजन, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता आदि पर कार्य करना।	12. दहेज उन्मूलन सामूहिक बीटिया विवाह का आयोजन बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का आयोजन, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता आदि पर कार्य करना।
13. वृद्ध, निशक्तजनों व विकलांगों को समाज, अध्यक्ष	13. वृद्ध, निशक्तजनों व विकलांगों को समाज, सचिव

डी-02
कोषाध्यक्ष

परिवार में सम्मान पूर्वक पुर्नवासित कराना। उनकी कठिनाईयों को समझते हुए विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी उपयोगी परियोजनाओं का लाभ दिलाना। वृद्ध आश्रम खोलना, विकलांग व निशक्तजन के कल्याण हेतु समेकित कार्य करना।	परिवार में सम्मान पूर्वक पुर्नवासित कराना। उनकी कठिनाईयों को समझते हुए विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी उपयोगी परियोजनाओं का लाभ दिलाना। वृद्ध आश्रम खोलना, विकलांग व निशक्तजन के कल्याण हेतु समेकित कार्य करना।
14. संस्था परिवार कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय एवं श्रम मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार एवं नगर/निकाय द्वारा संचालित समस्त परियोजनाओं को सहयोग से संचालित करना।	14. संस्था परिवार कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय एवं श्रम मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार एवं नगर/निकाय द्वारा संचालित समस्त परियोजनाओं को सहयोग से संचालित करना।
15. संस्था राजकीय योजनान्तर्गत स्काईट, ट्राइज्म, द्वारका, सरस्वती वहन, एन.आर.जे.आर. वाई. आदि राजकीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास करना।	15. संस्था राजकीय योजनान्तर्गत स्काईट, ट्राइज्म, द्वारका, सरस्वती वहन, एन.आर.जे.आर. वाई. आदि राजकीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास करना।
16. कपार्ट द्वारा जारी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना।	16. कपार्ट द्वारा जारी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना।
17. समिति के कार्यक्षेत्र में व्यापक सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए शोध केन्द्रों शिक्षण एवं तकनीकी कौशल उन्नयन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, संचालन एवं प्रबंध करना।	17. समिति के कार्यक्षेत्र में व्यापक सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए शोध केन्द्रों शिक्षण एवं तकनीकी कौशल उन्नयन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, संचालन एवं प्रबंध करना।
18. उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों एवं सेवा सुविधाओं का नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन एवं प्रबंधन करना।	18. उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों एवं सेवा सुविधाओं का नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन एवं प्रबंधन करना।
19. संस्था विभिन्न सरकारी गैर सरकारी, अर्द्ध सरकारी व निजी विभागों, निगमों में प्लेसमेंट एजेंसी के आधार पर बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का कार्य करेगी।	19. संस्था विभिन्न सरकारी गैर सरकारी, अर्द्ध सरकारी व निजी विभागों, निगमों में प्लेसमेंट एजेंसी के आधार पर बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का कार्य करेगी।
20. पर्यावरण संरक्षण एवं वनौषधि हेतु वृक्षारोपण करना एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना।	20. पर्यावरण संरक्षण एवं वनौषधि हेतु वृक्षारोपण करना एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना।
21. दिव्यांगों के हितों के लिए सरकारी योजनाओं को सरकार के सहयोग से संचालित करना।	21. दिव्यांगों के हितों के लिए सरकारी योजनाओं को सरकार के सहयोग से संचालित करना।
22. चिकित्सा के क्षेत्र में विविध कैंपों का आयोजन करना एवं टीकाकरण एड्स, जनजागृति व जनसंख्या नियंत्रण हेतु कार्य	22. चिकित्सा के क्षेत्र में विविध कैंपों का आयोजन करना एवं टीकाकरण एड्स, जनजागृति व जनसंख्या नियंत्रण हेतु कार्य

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

करना।	करना।
23. समाज में व्याप्त महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की रोकथाम हेतु महिला सहायता एवं सलाह केन्द्र का संचालन करना।	23. समाज में व्याप्त महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की रोकथाम हेतु महिला सहायता एवं सलाह केन्द्र का संचालन करना।
24. नवीन तकनीकी से कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देना।	24. नवीन तकनीकी से कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देना।
25. भविष्य में वे सभी कार्य जो लोकहित में हो उन्हें संस्था के साथ जोड़ना।	25. भविष्य में वे सभी कार्य जो लोकहित में हो उन्हें संस्था के साथ जोड़ना।
26. अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के हितों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना।	26. अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के हितों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना।
27. कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों एवं नये वीटीपी (वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम) केन्द्रों की स्थापना करना।	27. कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों एवं नये वीटीपी (वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम) केन्द्रों की स्थापना करना।
28. सामाजिक अधिकारिता विभाग के सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को सहयोग से संचालित करना।	28. सामाजिक अधिकारिता विभाग के सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को सहयोग से संचालित करना।
29. सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता एवं जल स्वावलंबन कार्यक्रम को सहयोग से संचालित करना।	29. सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता एवं जल स्वावलंबन कार्यक्रम को सहयोग से संचालित करना।
30. जल स्वावलंबन एवं स्वच्छता हेतु समाज में जागृति कर सरकार का सहयोग करना।	30. जल स्वावलंबन एवं स्वच्छता हेतु समाज में जागृति कर सरकार का सहयोग करना।
31. अजा/अजजा के गरीब छात्रों के लिए छात्रावासों का संचालन करना।	31. अजा/अजजा के गरीब छात्रों के लिए छात्रावासों का संचालन करना।
32. पंचायतों के साथ सक्रिय तालमेल व समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना।	32. पंचायतों के साथ सक्रिय तालमेल व समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना।
33. जनप्रतिनिधियों के साथ सक्रिय तालमेल व समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना।	33. जनप्रतिनिधियों के साथ सक्रिय तालमेल व समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना।
34. गौवंश संवर्धन हेतु प्रयास करना और चारा डिपो का संचालन करना।	34. गौवंश संवर्धन हेतु प्रयास करना और चारा डिपो का संचालन करना।
35. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से संबंधित स्वशासी संस्थाओं, समान विचार, सिद्धांत वाली स्वयंसेवी संस्थाओं से अन्य प्रकार का सहयोग प्राप्त करना तथा सक्रिय तालमेल व समन्वय स्थापित करना।	35. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से संबंधित स्वशासी संस्थाओं, समान विचार, सिद्धांत वाली स्वयंसेवी संस्थाओं से अन्य प्रकार का सहयोग प्राप्त करना तथा सक्रिय तालमेल व समन्वय स्थापित करना।
36. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/निजी	36. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/निजी

अध्यक्ष

सचिव

श्रीकृ. 2
कोषाध्यक्ष

संस्थाओं/ट्रस्ट एवं अन्य सहायताओं से चलाई जा रही परियोजनाओं को प्राप्त करना व गरीब जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग प्राप्त करना एवं परियोजनाओं के लक्ष्य व उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना।	संस्थाओं/ट्रस्ट एवं अन्य सहायताओं से चलाई जा रही परियोजनाओं को प्राप्त करना व गरीब जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग प्राप्त करना एवं परियोजनाओं के लक्ष्य व उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना।
37. केन्द्रीय बागवानी बोर्ड की परियोजनाओं का जनता को लाभ दिलवाना।	37. केन्द्रीय बागवानी बोर्ड की परियोजनाओं का जनता को लाभ दिलवाना।
38. कम्प्युटर विद कार्मिक उपलब्ध करवाना, सिक्युरिटी गार्ड उपलब्ध करवाना।	38. कम्प्युटर विद कार्मिक उपलब्ध करवाना, सिक्युरिटी गार्ड उपलब्ध करवाना।
39. संस्था द्वारा क्षेत्र में उच्च तकनीकी शिक्षा जैसे मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई, बीएड कॉलेज, बी.बी.ए., एम.सी.ए., बी.ए. कॉलेज खोलना, महाविद्यालय एवं महिला महाविद्यालय संचालित करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।	39. संस्था द्वारा क्षेत्र में उच्च तकनीकी शिक्षा जैसे मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई, बीएड कॉलेज, बी.बी.ए., एम.सी.ए., बी.ए. कॉलेज खोलना, महाविद्यालय एवं महिला महाविद्यालय संचालित करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
40. नशामुक्ति उन्मूलन कार्यक्रम चलाना।	40. नशामुक्ति उन्मूलन कार्यक्रम चलाना।
41. विशेष योग्यजनों (मूकबधिर) एवं दिव्यांगों हेतु शिक्षक-प्रशिक्षण केन्द्र एवं विशेष विद्यालय संचालित करना और रोजगार उपलब्ध करवाना।	41. विशेष योग्यजनों (मूकबधिर) एवं दिव्यांगों हेतु शिक्षक-प्रशिक्षण केन्द्र एवं विशेष विद्यालय संचालित करना और रोजगार उपलब्ध करवाना।
	42. संस्थान के द्वारा सभी प्रकार के विषयों की एवं सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग समाज के भामाशाहों के सहयोग से संचालित करवाना।
	43. संस्थान के हित में संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्रगति हेतु वित्तीय संस्थाओं से आवश्यकतानुसार ऋण लेने हेतु कार्यवाही करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रावलि का बंधन
 से प्रमाणित किया गया एवं जो कार्यालय को पत्रावली में
 पृष्ठ सं. 281 से 284 तक उपलब्ध है कि प्रमाणित
 प्राप्ति की प्रमाणित प्रति दिनांक 09-10-20 को ही गई

नकल जारी करने वाले
 के हस्ताक्षर

राजेश कुमार
 संस्था के चीफ

अध्यक्ष

सचिव

काषाध्यक्ष

280

संस्था का नाम :- आर.एन.सेवा संस्थान, थली, जिला टोंक

संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी का तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

पूर्व प्रबंध कार्यकारिणी

वर्तमान संशोधित प्रबंध कार्यकारिणी		पूर्व प्रबंध कार्यकारिणी					
क्र. सं.	नाम सदस्य गय पिता/पति	व्यवसाय	पद	क्र. सं.	नाम सदस्य गय पिता/पति	व्यवसाय	पद
01	श्री विनोद चौधरी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद चौधरी	शिक्षा विद्	अध्यक्ष	01	श्री विनोद चौधरी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद चौधरी	शिक्षा विद्	अध्यक्ष
02	श्रीमती संतरा देवी जांगिड़ पति राधेश्याम जांगिड़	गृहिणी	उपाध्यक्ष	02	श्री रघुनाथ जाट पुत्र श्री रामकिशन जाट	समाजसेवा	उपाध्यक्ष
03	श्रीमती किरण चौधरी पति सत्यनारायण चौधरी	शिक्षाविद्	सचिव	03	श्री रूपनारायण सिरोंठा पुत्र श्री रघुनाथ जाट	समाजसेवा	सचिव
04	श्री शंकरलाल सिरोंठा पुत्र श्री गोपाल लाल सिरोंठा	निजी कार्य	कोषाध्यक्ष	04	श्री शंकरलाल सिरोंठा पुत्र श्री गोपाल लाल सिरोंठा	निजी कार्य	कोषाध्यक्ष
05	श्री किशनलाल भीणा पुत्र केशरा भीणा	कृषि	सदस्य	05	श्री किशनलाल भीणा पुत्र केशरा भीणा	कृषि	सदस्य
06	श्री सत्यनारायण बैरवा पुत्र श्री मेवारायण बैरवा	कृषि	सदस्य	06	श्री सत्यनारायण बैरवा पुत्र श्री मेवारायण बैरवा	कृषि	सदस्य
07	श्री विनोद चौधरी पुत्र श्री जगदीश चौधरी	प्रोपटी डीलर	सदस्य	07	श्री विनोद चौधरी पुत्र श्री जगदीश चौधरी	प्रोपटी डीलर	सदस्य
08	श्री विलय सिंह चौधरी पुत्र श्री रामलाल चौधरी	समाज सेवा	सदस्य	08	श्री विलय सिंह चौधरी पुत्र श्री रामलाल चौधरी	समाज सेवा	सदस्य
09	श्रीमती शारदा यादव पति श्री रतिराम यादव	गृहिणी	सदस्य	09	श्रीमती शारदा यादव पति श्री रतिराम यादव	गृहिणी	सदस्य
10	श्रीमती धोली देवी जाट पति श्री आत्माराम सिरोंठा	गृहिणी	सदस्य	10	श्रीमती धोली देवी जाट पति श्री आत्माराम सिरोंठा	गृहिणी	सदस्य
11	श्री भरतलाल वैष्णव पुत्र श्री लादूराम वैष्णव	प्राइवेट टीचर	सदस्य	11	श्री राजूलाल वैष्णव पुत्र श्री लादूराम वैष्णव	प्राइवेट टीचर	सदस्य
12	श्री भरतलाल वाकड़ पुत्र श्री यामल धाकड़	प्राइवेट टीचर	सदस्य	12	श्रीमती किरण चौधरी पति सत्यनारायण चौधरी	शिक्षाविद्	सदस्य
13	श्री सोनू सिंह सोलंकी पुत्र श्री मदन सिंह सोलंकी	प्राइवेट टीचर	सदस्य	13	श्री राजेश कुमार नायक पुत्र श्री मांगीलाल नायक	शिक्षाविद्	सदस्य
14	श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) टोंक		शिक्षा विभागीय प्रतिनिधि	14	श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) टोंक		शिक्षा विभागीय प्रतिनिधि
15	विश्वविद्यालय द्वारा नामित व्यक्ति		उच्चशिक्षा विभागीय प्रतिनिधि	15	विश्वविद्यालय द्वारा नामित व्यक्ति		उच्चशिक्षा विभागीय प्रतिनिधि



अध्यक्ष

21/02/22
कोषाध्यक्ष

सचिव

नकल जारी करने वाले के हस्ताक्षर

यह प्रमाणित है कि यह पत्र जो कार्यलय से पठावली है रोफर के द्वारा ही भेजा गया है।

यह प्रमाणित है कि प्रमाणित रूप से 21/02/22 को ही भेजा गया है।

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AAGAR9203D



नाम / Name
R.N. SEVA SANSTHAN THALI

निगमन/गठन की तारीख
Date of Incorporation/Formation
25/07/2008

28122020